विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डॉ मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
4(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग में कार्यरत विपणन निरीक्षक से क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की प्रोन्नति न होने के कारण उक्त विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को भी प्रोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है?	जी नहीं, उक्त के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1070/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2020 एवं रिट याचिका संख्या-6434/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2020 द्वारा विपणन निरीक्षकों की अनन्तिम राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची फाइनल करने पर रोक है। प्रकरण में कार्यालय, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के पत्र संख्या-2128 दिनांक 19.04.2023 एवं पत्र संख्या-1245 दिनांक 22.03.2024 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ से मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2020 व स्थगन आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। लिपिक संवर्ग से विपणन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में 27 पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष 11 कार्मिकों की डी0पी0सी0 पूर्व में सम्पन्न हो चुकी है। उक्त कार्मिकों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही होने के कारण उनका पद आरक्षित/बन्द लिफाफा है। शेष 16 रिक्त पदो के सापेक्ष डी0पी0सी0 कराने हेतु अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं।
4(ख)	यदि हाँ, तो कब तक उक्त कार्मिकों की प्रोन्नति कराते हुए उक्त विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को भी प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करा दिया जायेगा?	लागू नहीं है।
4(ग)	क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ-वांछित विवरण संलग्न है।
4(घ)	यदि नहीं, तो क्यों?	लागू नहीं है।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।

Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 1070 of 2020

Petitioner :- Mukesh Kumar & Anr.
Respondent :- State Of U.P.Thru Addl.Chief Secy.Food &Civil Supplies & Anr
Counsel for Petitioner :- Shobhit Mohan Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Rajesh Singh Chauhan,J.

Heard Sri Shobhit Mohan Shukla, learned counsel for the petitioners and Sri Ran Vijay Singh, learned Addl. Chief Standing Counsel for the State-respondents.

By means of this petition, the petitioners have assailed the validity of the office order dated 31.12.2019 passed by the Commissioner, Food & Civil Supplies, U.P., Lucknow through which the date of substantive promotion of the petitioners has been altered without providing them ample opportunity of hearing to that effect.

Learned counsel for the petitioners has assailed the earlier identical order dated 30.7.2019 by filing Service Single No.21865 of 2019 and this Court after hearing the learned counsel for the parties was pleased to quash the order dated 30.7.2019 relegating the matter before the competent authority to take fresh decision strictly in accordance with law by providing an opportunity of hearing to the petitioners. Submission of learned counsel for the petitioners is that instead of withdrawing the order dated 30.7.2019, a letter dated 13.11.2019 (Annexure No.15) has been issued to the petitioners apprising them to appear before the office of the authority on 18.11.2019. Submission of learned counsel for the petitioners is that in the said letter, the authority competent has not sought specific and particular explanation from the petitioners and grievance of the petitioners so raised in earlier writ petition has not been indicated. Learned counsel for the petitioners has further submitted that the petitioners had requested from the competent authority to provide year-wise vacancies as reference to that effect has been given in the impugned order itself vide item no.7 and the said request of the petitioners has been considered in a cursory manner saying that detail of year-wise vacancies is not available in the department. However, the petitioners have filed contempt petition before this Court and after filing the contempt petition, the authority competent has withdrawn the order dated 30.7.2019 but by means of impugned order, the said order has been maintained, which is absolutely

unwarranted.

Therefore, submission of Sri Shobhit Mohan Shukla is that the petitioners were duly appointed on the post of Junior Clerk and pursuant to the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the petitioners have been promoted on the post of Marketing Inspector on 26.9.2014 and 8.7.2013 respectively but the seniority position of the petitioners has been altered without having any cogent material to that effect inasmuch as earlier, the petitioners' placement at seniority list were at serial nos.1322 and 1303 respectively and now pursuant to the impugned order, the petitioners have been placed at serial nos.2051 and 1975 respectively in the tentative seniority list dated 1.8.2019. Sri Shobhit Mohan Shukla has, therefore, submitted that the manner the seniority positions of the petitioners have been altered is not permissible in the eyes of law and the petitioners should have been provided appropriate opportunity of hearing in compliance of the order dated 9.8.2019 passed by this Court in Service Single No.21865 of 2019, which has not been provided in the letter and spirit of the order dated 9.8.2019.

The matter requires consideration.

Let counter affidavit be filed within a period of two weeks. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within a period of one week.

List this petition in the week commencing 10th February, 2020 within top ten cases, if possible.

Till the next date of listing, status quo so far as it relates to the petitioners shall be maintained and the tentative seniority list shall not be finalized.

Order Date :- 17.1.2020

RBS/-

[Rajesh Singh Chauhan,J.]

Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 6434 of 2020

Petitioner :- Maya & Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Addl.Chief Secy.Food &Civil Supplies &Anr.
Counsel for Petitioner :- Shobhit Mohan Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Rajesh Singh Chauhan,J.

Heard Sri Shobhit Mohan Shukla, learned counsel for the petitioners and Sri Vishal Verma, learned State counsel.

At the outset, Sri Shukla has drawn attention of this Court towards the order dated 17.1.2020 passed by this Court in Service Single No.1070 of 2020, Mukesh Kumar & Another Vs. State of U.P. & others. For brevity, the order dated 17.1.2020 is being reproduced herein below:-

"Heard Sri Shobhit Mohan Shukla, learned counsel for the petitioners and Sri Ran Vijay Singh, learned Addl. Chief Standing Counsel for the State-respondents.

By means of this petition, the petitioners have assailed the validity of the office order dated 31.12.2019 passed by the Commissioner, Food & Civil Supplies, U.P., Lucknow through which the date of substantive promotion of the petitioners has been altered without providing them ample opportunity of hearing to that effect.

Learned counsel for the petitioners has assailed the earlier identical order dated 30.7.2019 by filing Service Single No.21865 of 2019 and this Court after hearing the learned counsel for the parties was pleased to quash the order dated 30.7.2019 relegating the matter before the competent authority to take fresh decision strictly in accordance with law by providing an opportunity of hearing to the petitioners. Submission of learned counsel for the petitioners is that instead of withdrawing the order dated 30.7.2019, a letter dated 13.11.2019 (Annexure No.15) has been issued to the petitioners apprising them to appear before the office of the authority on 18.11.2019. Submission of learned counsel for the petitioners is that in the said letter, the authority competent has not sought specific and particular explanation from the petitioners and grievance of the petitioners so raised in earlier writ petition has not been indicated. Learned counsel for the petitioners has further submitted that the petitioners had requested from the

competent authority to provide year-wise vacancies as reference to that effect has been given in the impugned order itself vide item no.7 and the said request of the petitioners has been considered in a cursory manner saying that detail of year-wise vacancies is not available in the department. However, the petitioners have filed contempt petition before this Court and after filing the contempt petition, the authority competent has withdrawn the order dated 30.7.2019 but by means of impugned order, the said order has been maintained, which is absolutely unwarranted.

Therefore, submission of Sri Shobhit Mohan Shukla is that the petitioners were duly appointed on the post of Junior Clerk and pursuant to the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the petitioners have been promoted on the post of Marketing Inspector on 26.9.2014 and 8.7.2013 respectively but the seniority position of the petitioners has been altered without having any cogent material to that effect inasmuch as earlier, the petitioners' placement at seniority list were at serial nos.1322 and 1303 respectively and now pursuant to the impugned order, the petitioners have been placed at serial nos.2051 and 1975 respectively in the tentative seniority list dated 1.8.2019. Sri Shobhit Mohan Shukla has, therefore, submitted that the manner the seniority positions of the petitioners have been altered is not permissible in the eyes of law and the petitioners should have been provided appropriate opportunity of hearing in compliance of the order dated 9.8.2019 passed by this Court in Service Single No.21865 of 2019, which has not been provided in the letter and spirit of the order dated 9.8.2019.

The matter requires consideration.

Let counter affidavit be filed within a period of two weeks. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within a period of one week.

List this petition in the week commencing 10th February, 2020 within top ten cases, if possible.

Till the next date of listing, status quo so far as it relates to the petitioners shall be maintained and the tentative seniority list shall not be finalized."

Sri Shukla has submitted that the present matter being identical with the matter of Mukesh Kumar (supra), therefore the benefit of order dated 17.1.2020 may be extended to the present petitioners.

I have perused the order dated 17.1.2020 and the contents of the present writ petition and since both the writ petitions are identical in nature, therefore the benefit of order dated 17.1.2020 is being extended to the present petitioners.

Let counter affidavit be filed within a period of two weeks. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within a period of one week.

List this petition in the week commencing 30th March, 2020 within top ten cases, if possible along with Service Single No.1070 of 2020.

Till the next date of listing, status quo so far as it relates to the petitioners shall be maintained and the tentative seniority list shall not be finalized.

Order Date :- 4.3.2020
RBS/-

[Rajesh Singh Chauhan, J.]

कोर्टकेस / महत्वपूर्ण।
पत्रॉक– 2178 / आ0वि0शा0ली0से0–20 / 2020

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
माननीय उच्च न्यायालय,
लखनऊ।

लखनऊः दिनाँकः 19 अप्रैल, 2023

विषयः–रिट याचिका सं0–1070 / 2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2020 एवं रिट याचिका संख्या–6434 / 2020 सुश्री माया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किये जाने हेतु स्थगन अपास्त प्रार्थना पत्र तैयार कराकर दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री मोहित जौहरी, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के पत्र सं0–41 / सिविल, दिनांक 17.01.2023 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं0–5104 दिनांक 28.12.2022 (प्रति संलग्न) के क्रम में रिट याचिका सं0–1070 / 2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायलय के स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2020 (प्रति संलग्न) तथा रिट याचिका सं0–6434 / 2020 माया व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 04.03.2020 (प्रति संलग्न) के क्रम में विधिक परामर्श प्रदान किया गया है, जो निम्नवत् है :–

Kindly take reference to letter no. 5104 dated 28.12.2022 in respect to order dated 17.01.2020 passed by the Hon'ble High Court in Writ A No. 1070 of 2020 (Mukesh Kumar & Ors. versus State of U.P. 85 Ors.) & order dated 04.03.2020 passed by the Hon'ble High Court in Writ A No. 6434 of 2020 (Maya & Ors. versus State of U.P. & Ors.). From the perusal of the record of the Writ A No. 1070 of 2020 (Mukesh Kumar & Ors. versus State of U.P. & Ors.) & Writ A No. 6434 of 2020 (Maya & Ors. versus State of U.P. & Ors.) following facts come out from the petition.

I. That the petitioner preferred writ petition challenging the order dated 31.12.2019 through which the representation of the petitioner was decided and the services of the petitioner from their promotion dated 26.09.2014 to 27.11.2017 were treated as ad-hoc services and were given regular promotion in lieu of vacant post from 28.11.2017.

II. That in the background of the case few directly recruited Marketing Inspectors of the department filed writ petition no. 24635 (S/B) of 2018 (Smt. Renu Mishra v/s State of U.P. *& Ors.) challenging the seniority list dated 24.09.2015 which was dismissed as withdrawn and thereafter another writ petition was filed bearing number Writ Petition No .19980 (S/B) of 2018 raising similar issue which was disposed of by the Hon'ble High Court through order dated 25.07.2018 with direction to consider the grievance of the petitioner.

III. That in compliance of the order of the Hon'ble High Court the matter was considered and after giving opportunity of hearing and further departmental promotion committee (thereafter DPC) was formed vide order dated

12.07.2018 and the committee examined the fact in regard to promotion from clerical grade to post of Marketing Inspector through office order dated 08.07.2013 & 26.09.2014 and seniority list dated 24.09.2015 and it was found that in seniority list from serial no.1302 to 1323 the excess promotion of 22 posts was made from the quota of promotion from clerical grade to post of Marketing Inspector and thereafter an order dated 30.07.2019 was passed through which the seniority of 22 employees was re-fixed and the promotion on Marketing Inspector was fixed from 28-11-2017 and their promotion dated 26-09-2014 to 27-11-2017 were treated as ad-hoc services and were given regular promotion in lieu of vacant post from 28.11.2017 and thereafter a tentative seniority list was issued which was filed in the Hon'ble High Court in the pending writ petition.

IV. That thereafter a DPC was formed for promotion from Marketing Inspector to Area Marketing Officer and some Marketing Inspector gave a complaint regarding to seniority fixation thereafter the matter was sent to State Government and the State Government directed to take action at department level.

V. That the DPC was formed by order doted 19.03.2019 and the DPC after examining the objection gave the approval for promotion on the post of Marketing Officer to the Marketing Inspector who are placed in seniority list dated 24.09.2015 till serial no.1258 and who are regularly promoted on 12.09.2012 and had completed 05 years qualifying service will be considered for promotion.

VI. That thereafter through order dated 06.06.2019 after leaving the candidate who were not eligible upto serial no.1258 the Marketing Inspectors were promoted to the post of Area Marketing Officer.

VII. That now the position is 122 marketing inspector who were left to be considered for promotion were not eligible and are now eligible and their promotion on the post of Area Marketing Officer is to be considered.

VIII. That the petitioners had challenged the order dated 31.12.2019 in which the Honble High Court has passed the interim order through which the status quo in respect to petitioners has been directed to be maintained and further the tentative seniority list has been directed not to be finalized.

IX. That it is necessary to mention hero that the tentative seniority list dated 24.09.2015 of marketing inspector has to be considered in to not in piece and meals and as such if any promotion is made after finalizing the seniority list then it will amount to defiance of interim order dated 17.01.2020 because the seniority list cannot be considered in parts.

In view of the facts and reasons indicated herein above, I'm of the concerned opinion that the seniority list cannot be finalized and promotions cannot be made till the interim order is operative and further I advice that the application for vacation of interim order dated 17.01.2020 passed by the Hon'ble High Court in Writ A No. 1070 of 2020 (Mukesh Kumar versus State of U.P. & Ors.) & interim order dated 04.03.2020 passed by the Hon'ble High Court in Writ A No. 6434 of 2020 (Maya & ors. versus State of U.P. & Ors.) may be pressed and effort be made to get decide the same expeditiously and if the promotions are stagnant then the

said fact may be placed before the Hon'ble High Court in the writ petition through application and the interim order may be modified to the extend for permission for promotion of marketing inspectors before serial no. 1258. The legal opinion is accordingly.

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.09.2015 द्वारा निर्गत विपणन निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक–1258 के पूर्व लगभग 116 विपणन निरीक्षक पदोन्नति की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से अधिकांश विपणन निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही एवं वसूली की कार्यवाही लम्बित है। अद्यतन स्थिति यह है कि विभाग में विपणन निरीक्षक के पद से क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 142 पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पर्याप्त संख्या में विपणन निरीक्षक कार्यरत हैं, जिनकी उक्त रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नति की जा सकती है। इस कार्यालय स्तर से जारी विपणन निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.08.2019 मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2020 व 04.03.2020 के द्वारा स्थगित की गयी है, जिसके कारण उक्त पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। यह कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से सीधी भर्ती के माध्यम से 668 चयनित विपणन निरीक्षक जो क्रमशः चयन वर्ष 2008, 2009 व 2013 में चयनित हुए हैं उनकी विभाग में नियमित सेवा 05 वर्ष से अधिक है और वे क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह है और उनकी पदोन्नति की कार्यवाही स्थगन आदेश के प्रभावी होने के दृष्टिगत Stagnant है, जबकि रिट याचिका सं0–18304/एस0एस0/2019 रेनू मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2019 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुपालन में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 12.07.2018 द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी (मुख्यालय) की अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय समिति को लिपिक संवर्ग से विपणन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2013 व 26.09.2014 तत्पश्चात निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 24.09.2015 में पदोन्नति श्रेणी हेतु निर्धारित कोटा से अधिक लिपिक संवर्ग से विपणन निरीक्षकों की पदोन्नति किये जाने की गहनता से परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में समिति द्वारा गहनता से परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि कार्यालय आदेश दिनांक 24.09.2015 द्वारा निर्गत विपणन निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक–1302 से 1323 तक के कार्मिकों की कुल प्रोन्नत श्रेणी की कार्यरत विपणन निरीक्षक निर्धारित कोटा के सापेक्ष 22 पदों पर अधिक होना पाया गया, जिसके आधार पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के द्वारा उन 22 कार्मिकों की ज्येष्ठता का पुर्ननिर्धारण करते हुए रिक्ति के सापेक्ष उनकी विपणन निरीक्षक के पद पर ज्येष्ठता दिनांक 28.11.2017 पर अवधारित की गयी और उनके प्रोन्नति आदेश दिनांक 08.07.2013 व 26.09.2014 से दिनांक 27.11.2017 तक की सेवा को तदर्थ प्रोन्नति माना गया। इसी आधार पर वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में नियुक्त सीधी भर्ती के विपणन निरीक्षकों की ज्येष्ठता इन 22 कार्मिकों जिनकी विपणन निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक 28.11.2017 अवधारित हुई, के उपर निर्धारित करते हुए कार्यालय आदेश दिनांक 01.08.2019 के द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी और उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए विभाग द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दिनांक 06.08.2019 को दाखिल कर दिया गया और वर्तमान में उक्त याचिका मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

अतः श्री मोहित जौहरी, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विधिक परामर्श के क्रम में अनुरोध है कि कृपया रिट याचिका सं0–1070/एस0एस0/2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च

न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2020 व रिट याचिका सं0–6434/2020 माया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किये जाने हेतु अपास्त प्रार्थना पत्र व याचिका की शीघ्र सुनवाई हेतु शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र तैयार कराकर दाखिल कराने का कष्ट करें। प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, लखनऊ (नोडल अधिकारी) को नामित/अधिकृत किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
आयुक्त।

प्रतिलिपिः–सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, लखनऊ (नोडल अधिकारी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ से सम्पर्क कर प्रश्नगत प्रकरण में स्थगन अपास्त प्रार्थना पत्र व शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र तैयार कराकर दाखिल कराते हुए याचिका में नियत तिथि को प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें।

(सौरभ बाबू)
आयुक्त।

कोर्टकेस/महत्वपूर्ण।

पत्रॉक- 245 /आ0वि0शा0ली0से0-20/2020

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
माननीय उच्च न्यायालय,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनाँक: 22 मार्च, 2024

विषयः-रिट याचिका सं0-1070/2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2020 एवं रिट याचिका संख्या-6434/2020 सुश्री माया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किये जाने हेतु स्थगन अपास्त प्रार्थना पत्र तैयार कराकर दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0-2128/आ0वि0शा0ली0से0-20/2020, दिनांक 19.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री मोहित जौहरी, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विधिक परामर्श के क्रम में रिट याचिका सं0-1070/एस0एस0/2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2020 व रिट याचिका सं0-6434/2020 माया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किये जाने हेतु अपास्त प्रार्थना पत्र व याचिका की शीघ्र सुनवाई हेतु शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र तैयार कराकर दाखिल कराने का अनुरोध किया गया था। अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर सर्च करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त रिट याचिकाओं में पारित स्थगन आदेश प्रभावी है, जिसके कारण क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के रिक्त 144 पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.09.2015 द्वारा निर्गत विपणन निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-1258 के पूर्व लगभग 116 विपणन निरीक्षक पदोन्नति की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से अधिकांश विपणन निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही एवं वसूली की कार्यवाही लम्बित है। अद्यतन स्थिति यह है कि विभाग में विपणन निरीक्षक के पद से क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 142 पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पर्याप्त संख्या में विपणन निरीक्षक कार्यरत हैं, जिनकी उक्त रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नति की जा सकती है। इस कार्यालय स्तर से जारी विपणन निरीक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.08.2019 मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2020 व 04.03.2020 के द्वारा स्थगित की गयी है, जिसके कारण उक्त पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। यह कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से सीधी भर्ती के माध्यम से 668 चयनित विपणन निरीक्षक जो क्रमशः चयन वर्ष 2008, 2009 व 2013 में चयनित हुए हैं उनकी विभाग में नियमित सेवा 05 वर्ष से अधिक है और वे क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह है और उनकी पदोन्नति की कार्यवाही स्थगन आदेश के प्रभावी होने के दृष्टिगत Stagnant है, जबकि रिट याचिका सं0-18304/एस0एस0/2019 रेनू मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2019 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुपालन में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 12.07.2018 द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी (मुख्यालय) की अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय समिति को लिपिक संवर्ग से विपणन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2013 व 26.09.2014 तत्पश्चात निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 24.09.2015 में पदोन्नति श्रेणी हेतु निर्धारित कोटा से अधिक लिपिक संवर्ग से विपणन निरीक्षकों की पदोन्नति किये जाने की गहनता से परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में समिति द्वारा गहनता से परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि कार्यालय आदेश दिनांक 24.09.2015 द्वारा निर्गत विपणन निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-1302 से 1323 तक के कार्मिकों की कुल प्रोन्नत श्रेणी की कार्यरत विपणन निरीक्षक निर्धारित कोटा के सापेक्ष 22 पदों पर अधिक होना पाया गया, जिसके आधार पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के द्वारा उन 22 कार्मिकों की ज्येष्ठता का पुर्ननिर्धारण करते हुए रिक्ति के सापेक्ष उनकी विपणन निरीक्षक के पद पर ज्येष्ठता दिनांक 28.11.2017 पर अवधारित की गयी और उनके प्रोन्नति आदेश दिनांक 08.07.2013 व

2[illegible]9.2014 से दिनांक 27.11.2017 तक की सेवा को तदर्थ प्रोन्नति माना गया। इसी आधार पर वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में नियुक्त सीधी भर्ती के विपणन निरीक्षकों की ज्येष्ठता इन 22 कार्मिकों जिनकी विपणन निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक 28.11.2017 अवधारित हुई, के उपर निर्धारित करते हुए कार्यालय आदेश दिनांक 01.08.2019 के द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी और उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए विभाग द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दिनांक 06.08.2019 को दाखिल कर दिया गया और वर्तमान में उक्त याचिका मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया रिट याचिका सं0–1070/एस0एस0/2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2020 व रिट याचिका सं0–6434/2020 माया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें। प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, लखनऊ (नोडल अधिकारी) को नामित/अधिकृत किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपिः–सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, लखनऊ (नोडल अधिकारी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ से सम्पर्क कर प्रश्नगत प्रकरण में स्थगन अपास्त कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

22/2/24
(कामता प्रसाद सिंह)
अपर आयुक्त।